

FORM OF ORDER SHEET

IN THE COURT OF THE DIVISIONAL COMMISSIONER, PURNEA.

Arbitration Case No.- 54/2020

Parwati DeviPetitioner.

Versus

The State of Bihar & Ors.....Opposite Party.

Serial No.	Date of order of proceeding.	Order with signature of the court.	Office action taken with date
1	2	3	4
	26.11.2024	<p style="text-align: center;">आदेश</p> <p>प्रस्तुत वाद पूर्णिया जिला के मौजा-डिमिया छतरजान अवस्थित भूमि जिसे विभाग द्वारा एन0एच0-131ए (नरेनपुर-पूर्णिया) निर्माण/चौड़ीकरण हेतु अर्जित किये जाने के आलोक में निर्धारित मूल्य से कम मुआवजा राशि दिये जाने के विरुद्ध दायर किया गया है।</p> <p>आवेदिका अनुपस्थित। अभिलेख के अवलोकन से ज्ञात होता है कि आवेदिका वाद अधिग्रहण की तिथि से लगातार अनुपस्थित चले आ रहे हैं। इससे स्पष्ट है कि आवेदिका को प्रस्तुत वाद के निष्पादन में कोई अभिरूचि नहीं रह गई है। ऐसी स्थिति में वाद को अनावश्यक लंबित रखना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।</p> <p>अतः उपरोक्त के आलोक में प्रस्तुत वाद को "प्रमाद में खारिज" (Dismissed For Default) किया जाता है। इसी के साथ वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। आदेश की प्रति संबंधित पदाधिकारी को भेजे।</p> <p>लेखापित एवं शुद्धित।</p> <p style="text-align: center;">आयुक्त, पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया।</p> <p style="text-align: right;">आयुक्त, पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया।</p>	